



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266264  
CG-DL-E-20092025-266264

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 638]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

एफ. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/7-विविध(5)/2025 (ई-5734)/03 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) (संशोधन) विनियम, 2025" कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम वर्ष 2010" में—

(क) विनियम 2, खंड (1), उपखंड (एस) – "परफॉर्मेंस बॉन्ड" की परिभाषा उपखंड (आर) के पश्चात् जोड़ी की जाएगी:

“परफॉर्मेंस बॉन्ड” में, जैसा भी मामला हो, भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) या बैंक गारंटी अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस/सूचित बीमा कंपनियों से बीमा जमानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) शामिल होगा, जिसकी राशि विनियम में निर्दिष्ट है।

(ख) विनियम 8, खंड (1) – में “स्पष्टीकरण” शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:

“बीमा जमानत बांड के माध्यम से परफॉर्मेंस बॉन्ड विनियम में निर्दिष्ट राशि के अधिकतम 50% तक स्वीकार किए जाएंगे और शेष 50% अन्य साधनों के माध्यम से, जैसा कि विनियम 2(1)(एस) की परिभाषा में उल्लिखित है, स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, इकाई को विनियम में निर्दिष्ट मूल्य के 100% तक बैंक गारंटी/डीडी/भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) के रूप में परफॉर्मेंस सुरक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता है।”

(ग) विनियम 17, खंड 3, उपखंड (ख) में, शब्द “या बैंक गारंटी” हटा दिया जाएगा।

(घ) विनियम 17, खंड (3), उपखंड (ख) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“बशर्ते कि परफॉर्मेंस बॉन्ड को भुनाने के मामले में, पहले बैंक गारंटी गारंटी भुनाई जाएगी, उसके पश्चात् बीमा जमानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) और अन्य साधनों, जैसा लागू हो, भुनाया जाएगा।”

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./371/2025-26]

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 2025

**F. No. PNGRB/Comm/7Misc (5)/2025 (E-5734)/03.**—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: -

#### 1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) amendment Regulations, 2025.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010., -

(a) In regulation 2, clause (1), sub clause (s), defining, “Performance Bond” shall be inserted, after sub clause(r): -“The Performance Bond, as the case may be, shall include Demand Draft or Pay Order or Bank Guarantee from any scheduled Bank of India or Insurance Surety Bond from Insurance Companies, licensed / notified by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) for the amount as specified in the regulation”.

(b) In regulation 8, clause (1) after the word “Explanation”, the following words shall be inserted: -

“The performance Bond by way of Insurance Surety Bonds will be accepted to the extent of maximum upto 50% of the amount as specified in the regulation and balance 50% will be accepted by way of any of other instruments as mentioned in the definition of Performance Bond at Regulation 2(1)(s)”. However, Entity is free to provide the performance security by way of Bank Guarantee/DD/Pay Order to the extent of 100% of the value as stipulated in the respective regulation.

(c) In regulation 17, clause 3, sub clause (b), the word “or bank guarantee” shall be deleted.

(d) In regulation 17, clause (3), after sub clause (b) the following proviso shall be inserted: -

“Provided that in case of encashment of performance Bond, firstly Bank Guarantee will be encashed followed by Insurance Surety Bond and other instruments, as the case may be.”

ANJAN KUMAR MISHRA, Secretary

[Adv-III/4/Exty./371/25-26]